

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/19913

दिनांक: 16/8/19

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार निम्नांकित नगरीय निकायों में पैरवी हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर आगामी एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक के लिए पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्रं.स.	अधिवक्ता का नाम	संबंधित नगर निगम/ परिषद/पालिका का नाम
1.	श्री गजेन्द्र सिंह झाला	नगरपालिका, बडी सादडी
2.	श्री शिशपाल शर्मा	नगरपालिका, सूरतगढ
3.	श्री अजय ओझा	नगर परिषद, जालोर
4.	श्री विनोद कुमार जैन	नगर निगम, जयपुर
5.	श्री सावन श्रीमाली	नगर परिषद, चित्तौडगढ

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा।

(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/19914-40

दिनांक: 16/8/19

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/उपायुक्त/अधिकाारी अधिकारी, नगर निगम/
परिषद/ पालिका।
06. श्री एडवोकेट मार्फत, नगर निगम/परिषद/पालिका
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी